

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

मूल-चर्च

बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी

मुकदमा संख्या- 35/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
16/11/20	<p>दिल्ली द्वारा आज कपड़ों के कार्य                      के लिए जाने से परमावली गति                      आदेशानुसार दिनांक 12/11/20                      को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
20/11/20	<p>क. ल. उ. प्र. / परमावली वास्ते बख-हेतु                      व्यक्ति अवसर दिया जाकर परमावली                      दिनांक 28/11/20 को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
28/11/20	<p>क. ल. उ. प्र. / परमावली वास्ते बख-हेतु                      व्यक्ति अवसर दिया जाकर परमावली                      दिनांक 05/12/20 को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
05/12/20	<p>क. ल. उ. प्र. / परमावली वास्ते बख-व्यक्ति                      हेतु आगामी दिनांक 09/12/20 को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
09/12/20	<p>क. ल. उ. प्र. / परमावली वास्ते बख-हेतु                      आगामी दिनांक 15/01/25 को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
15/01/25	<p>क. ल. उ. प्र. / परमावली वास्ते बख-हेतु आगामी                      दिनांक 23/01/25 को पेश हो <u>श्रीमती</u></p>	
23/01/25	<p>क. ल. उ. प्र. / बख सा. पत्र सुनी गयी /                      सा. पत्र क परमावली क अवलोकन किया                      गया / मूल वाड प्राथमिक डिप्टी-शिया क                      युक्त है बख-उप-मुकदमा के आगे                      कोई कार्यवधि सोच नहीं रही है अतः                      सा. पत्र 15 CPC क खारिज किया                      जाता है परमावली-केवल मुकदमा                      को नष्ट से नष्ट वे तथा घोषित                      इफ्तल हो <u>श्रीमती</u></p>	<p>सहायक कलक्टर                      चौमूं (जयपुर)</p>